भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1356 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 6 फ़रवरी, 2026/17 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है

पत्तनों में निजी क्षेत्र की प्रचालन हिस्सेदारी में वृद्धि

† 1356. श्री सुखदेव भगत :

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले दशक में निजी पत्तनों, विशेषकर अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड द्वारा प्रचालित पत्तनों ने कुल कार्गो हैंडलिंग में अपनी हिस्सेदारी लगभग 9 प्रतिशत से बढ़ाकर लगभग 24 प्रतिशत कर दी है जबकि केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित महापत्तनों की हिस्सेदारी में गिरावट आई है जिससे बाजार संकेंद्रण और पत्तन क्षेत्र में कमजोर प्रतिस्पर्धा के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और किसी एक कारपोरेट समूह के अत्यधिक प्रभुत्व को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ख): महापत्तनों द्वारा संचालित किए जाने वाले कार्गो वित्त वर्ष (वि.व) 2014- 2015 में 581.34 मिलियन मैट्रिक टन से बढ़कर वित्त वर्ष (वि.व) 2024-25 में 854.86 एमएमटी हो गया है। इसी अवधि के दौरान, महापत्तनों के अलावा अन्य (ओटीएमपी) पत्तनों द्वारा संचालित किए जाने वाले कार्गो 470.89 एमएमटी से बढ़कर 742.41 एमएमटी हो गए हैं। इसलिए, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, देश में संचालित किए जाने वाले कुल कार्गो में से 53.52% भाग महापत्तनों का है और इसलिए इस क्षेत्र में यह एक प्रमुख प्लेयर बना हुआ है।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग क्षेत्र में नीतिगत सुधारों ने मुक्त प्रतिस्पर्धा और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिस्पर्धा का समान स्तर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है जो केंद्र सरकार और महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के क्षेत्र के तहत टर्मिनल, बर्थ, सुविधाओं आदि के लिए सभी बाजार प्रतिस्पर्धियों को स्वतंत्र रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अनुमति देता है। विशेषत: मॉडल कंसेशनेयर समझौता, 2021 पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से सभी हितधारकों को समान अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा, क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) ने राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय बाजार के प्रतिस्पर्धियों द्वारा निवेश के लिए अवसर खोले हैं। सरकार समुद्री परिदृश्य में दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक- निजी सहभागिता (पीपीपी) मॉडल को प्रोत्साहित करने के लिए सहयोगी दृष्टिकोण अपना रही है।
